nt>

Title: Need to permit the Government of Himachal Pradesh to levy two per cent generation cess on power produced by the State.

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 20,810.57 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। वर्तमान में 3942.07 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है और 25 निर्माणाधीन जल विद्युत के पूर्ण होने पर 7059.14 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। यह बिजली भी प्रदेश की क्षमता का केवल 50 प्रतिशत भाग ही है लेकिन हिमाचल प्रदेश को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में उत्पादित विद्युत से अनेक प्रदेश उन्नति कर रहे हैं, मगर हिमाचल प्रदेश का सम्यक विकास नहीं हो पा रहा है। वहां के लोग गरीब हैं। एक तो प्र ाकृतिक परिस्थितियां ऐसी हैं, दूसरे उत्पादित विद्युत में उसे पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है।

महोदय, मेरा माननीय विद्युत मंत्री महोदय से निवेदन है कि हिमाचल के पानी से हिमाचल की धरती पर निर्मित इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत पर 2 प्रतिशत की दर से जेनरेशन सैस लगाने का अधिकार हिमाचल प्रदेश को दिया जाए।